Serial No. 6806

Book No. :- 4 Deed No. 42

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

R 664838

Serial No. 6806

Deed No. 42

Govt. of Bihar

District Registry Office ,Darbhanga

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 15/05/2015 by Md. Raza

A Stamp Duty of Rs. 5000/- and other Fees of Rs. 2490/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 42 in Book No. 4, Volume No. 1 on pages from 545 to 562 and has been preserved in total 18 pages in C.D. No. ... Year 2015

SCANNED by

स्क्रॉल मिलान किया, सही पाया।

प्रभारी लिपिक

Date: 15/05/2015

Token No: 6844 /2015

Signature with Date
(Rita Sinha)
Registering Officer, Darbhanga

न्यास-पत्र

दरभंगा शिक्षण एवं समाजिक उत्थान संस्थान

ट्रस्ट

आज दिनांक 15.05.2015 को इस न्यास के घोषणा-पत्र का निष्पादन कर रहा हूँ। मैं मोहम्मद रजा पे0 हाजी मो0 रजा करीम उम्र लगभग- 48 वर्ष, मोहल्ला- रहम खाँ, पो0- लालबाग, जिला- दरभंगा, पिन- 846004 चलान सं0 213 दिनांक 14.5.15 भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा जो कि पश्चात्त न्यास के

District Registry Office, Darbhanga

Token Number 6844 | Reg. Year 2015 | Serial Number 6806 | Deed Number 4[illegible]

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	[illegible]
Presented By	Md. Raza						

Sig. मो रजा 15/5/2015

Trustee Md. Raza

Sig. मो रजा 15/5/15

Trustee Md. Mahmood Fareed

Sig S.M. Mahmood Farid 15.5.2015

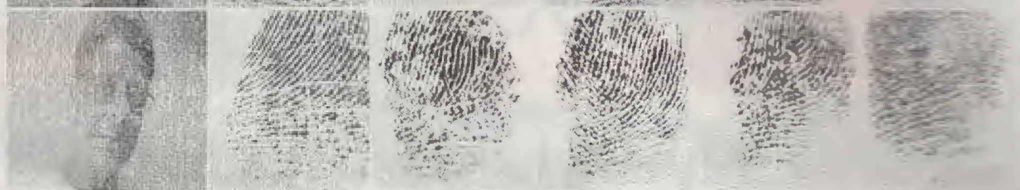

Trustee Shahla Praween

Sig. Shahla Parveen 15/5/15

Trustee Shaziya Noor

Sig. Shazia noor 15/5/15

Identified By Maninath Jha

Sig. मणिनाथ झा 15/5/15

Trustee Siddiqua Zafar

Sig

صدیقہ جعفر
10/5/10

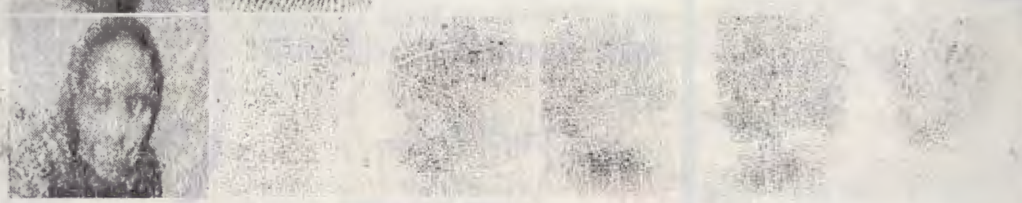

610 to 616
3/1/15

मो रजा 15/5/2015

संस्थापक न्यासकर्त्ता के रूप में उल्लेखित हूँ। मेरी (मोहम्मद रजा) यह हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी, उत्तम व आदर्श गुणों को स्थापित करने के लिए एक पब्लिक चरिटेबुल न्यास/ ट्रस्ट की स्थापना की जाए। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए विद्यालय, महाविद्यालयों, तकनीकि, व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिाण संस्थानों की स्थापना, संचालन, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, स्थापित करने की तीव्र इच्छा रखता हूँ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों उपसाधानों को संग्रह किया जाए। इसके निमित्त में रू0 102000/- (एक लाख दो हजार रूपये) मात्र प्रदान करता हूँ।

न्यास की समस्त आय न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति की लिए बिना किसी पक्षपात के सर्वकल्णार्थ प्रयोग की जाएी इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे इस न्यास के किसी न्यासी का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत है।

न्यास के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों और उप-नियमों का पालन किया जायेगा :-

1. **नाम :-** इस न्यास का नाम :- " दरभंगा शिक्षण एवं समाजिक उत्थान संस्थान" होगा। न्यास का संक्षिप्त नाम :- " दरभंगा शिक्षण एवं समाजिक उत्थान संस्थान" के नाम से भी जाना जायेगा।

2. न्यास का कार्यक्षेत्र :- न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

3. कार्यालयः- न्यास का पंजीकृत कार्यालय बिहार प्रदेश में निम्न पते पर स्थित है :- मोहल्ला- रहम खाँ, पो0- लालबाग, जिला- दरभंगा, पिन- 846004 (बिहार) किराया पर संचालित

न्यास के उप कार्यालयों की स्थापना, समय- समय पर न्यास मंडल की बैठक में तय करने के उपरान्त बिहार में कहीं भी की जा सकती है।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या :- न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम प्राँच और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बन सकेंगे।

1. मो0 रजा पे0 हाजी मो0 रजा करीम, मोहल्ला- रहम खाँ, पो0- लालबाग, जिला- दरभंगा, पिन- 846004(बिहार)-प्रबन्ध न्यासी
2. शाजिया नुर, पे0 सैयद मो0 जाफर फरिद, मोहल्ला- रहम खाँ,पो0-लालबाग जिला- दरभंगा, पिन- 846004 (बिहार)- उप प्रबन्ध न्यासी

549

3. सिद्दिका जाफर पे0 मो0 मंजुर अली, मोहल्ला- जी0एन0 गंज, पो0+थाना- लहेरियासराय, जिला-दरभंगा, पिन- 846001 (बिहार)- न्यासी

4. सैयद मो0 महमूद फरिद पे0 सैयद मो0 जाफर फरिद, उम्र लगभग 54 वर्ष मोहल्ला- जी0एन0 गंज, पो0+थाना-लहेरियासराय, जिला- दरभंगा, पिन- 846001 (बिहार)-नयासी

5. श्रीमती शहला प्रवीण पे0 स्व0 शरफुद्दीन मोहल्ला- जी0एन0 गंज,पो0+थाना- लहेरियासराय, जिला- दरभंगा, पिन- 846001 (बिहार)-न्यासी

2. **मुख्य उद्देश्य** :- विद्यालय, महाविद्यलायों, तकनीकि, व्यवसायिक, विशिष्ट व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, संचालन, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आरम, वृद्धाश्रम महिला आश्रम, स्थापित कर उनका सुचारू रूप से संचालन करना होगा।

इस न्यास के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगें।

1. समाज के गरीब, दलित, महादलित, पिछड़ो अल्पसंख्यको, कमजोर वर्गो, के आथ्रिक समाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु कार्यक्रम का संचालन करना।

Shazia Noor 15/5/15

S.M.Mahmood Farid 15.5.2015

Shahla Parveen 15/5/15

2. आपसी मतभेद, हिंसा, जातिवाद एंव लिंगभेद की जगह आपसी सहयोग एवं एकता की भावना जगाना तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता पहूँचाने की व्यवस्था करना।

3. प्राईमेरी, प्री-प्राईमरी, सैकंडरी, सीनियर सैकंडरी व उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न स्कूल, इन्जीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षा संस्था खोलना व राज्य सरकों एवं केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त करके चलाना। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए समर्पित होना तथा इसके लिए आवश्यकता अनुसार आवश्यक कदम उठाना।

4. शिक्षा के विभिन्न विषयों पर अनुसंधान हेतु अनुसंधान केन्दों को स्थापित करना और हर संभव सहायता प्रदान करना। साहित्य कला और भारतीय सांस्कृतिक उत्थान में निबंध, कला व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का समय-समय पर आयोजन करना।

5. तकनीकी गैर तकनीकि, औद्योगिक, व्यवसायिक, चिकित्सा व पर्यावरण क्षेत्रों से संबंधित केन्दों/ प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

Shazia noor 15.5.15

S.M. Mahmood Faridi 15.05.15

Shahla Parveen 15/5/15

6. साहित्य, कला और भारतीय संस्कृति के उत्थान हेतु निबंध, वाद- विवाद, कला व संस्कृति प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

7. शिक्षा के क्षेत्र में आयाम स्थापित करने वाले मेधावी छात्रों तथा कर्त्तव्यनिष्ठ शिक्षकों का सार्वजनिक सम्मान करना और उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।

8. बहुत गरीब परिवार के संबंधित छात्र/छात्राओं एवं विकलांग बच्चों को मुफ्त या रियायती शिक्षा प्रदान करना।

9. गरीब, दलित, विकलांग एवं बेसहारा, महिलाओं, बुजर्गो, पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के विकास एवं संरक्षण तथा पालन हेतु शिक्षा चिकित्सा व रोजगार की व्यवस्था कराना।

10. स्कूल/ कॉलेजों, विद्यालयों, विश्विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानाओं को अन्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन से संबंधित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने व उनके संचालन संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ- साथ सरकारी मदद व मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्धित सलाह प्रदान करेगी।

11. आम जनता के उपयोग के लिए सामुदायिक भवन, उत्सव भवन, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, ध्यान- मेडीटेशन आश्रम व योग-व्यायाम आश्रम, वाटर पार्क, कृषि शिक्षा केन्द्र, खेती प्राकृति चिकित्सा केन्द्र, साधना केन्द्र, हॉस्टल, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, शौचालय, बालवाड़ी आंगनवाड़ी, प्याऊ वाचनालय, पुस्तकालय, डिसपेंसरी, हॉस्पीट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम और रात्रि- निवास आदि का निर्माण करना व इनका संचालन करना।

12. दृष्टिहीन, मूक व वधिर, मानसिक व शारीरिक विकलांगों, वृद्धों के लिए पुनर्वास योजना चलाना।

13. प्राकृतिक आपदा जैसे :- बाढ़, सुखा, भूकम्प या तुफान आदि के समय पीड़ितों की चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात, प्राकृतिक आपदा एवं मानवकृत आपदा व अन्य सामग्री मुहैया कराना और हर संभव सहायता प्रदान करना एवं पुनर्वास हेतु आवश्यक कार्य करना।

14. खेलकूद, शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा व कला के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान महिलाओं, पुरूषों

व बच्चों को सार्वजनकि रूप से सम्मानित करना तथा एवार्ड व प्रशस्ति पत्र देना।

15. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सरकारी व गैर- सकरारी संस्थओं से आर्थिक व तकनीकि सहायता प्राप्त करना।

16. समय- समय पर कार्यशाल, प्रशिक्षण, सांस्कृति कार्यक्रमों, समेमिनार, प्रशिक्षण का आयोजन करना।

17. समाचार- पत्र, पत्रिका व सोविनियर प्रकाशित करना व इनके वितरण की व्यवस्था करना। मानकेश्वर नाथ स्थल, दर्शानिक, इतिहासिक, समाजिक, विशिष्ट पहचान की स्थलों को चिन्हित कर पर्यटक स्थल के रूप में विकास करना तथा पर्यटन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना।

18. देश में एकता व अखण्डता स्वतंत्रता, समात, बंधुत्व कायम करने के लिए कार्यक्रम करना।

19. महिलाओं को सहायता के लिए सेल्फ- हेल्प ग्रुप चलाना, महिला सशक्तिकरण, बेटी- बचाओं अभियान, आर्थिक सशक्तिकरण समानता, मानव तस्करी द पर रोक, महिला समान्नता, लैंगिक भेद-भाव पर रोक, घरेलु हिंसा पर रोक आदि

कार्यो का संचालन करना ताकि सशक्त महिला समूह का विकास हो सके।

20. न्यास के आय व विकास के लिए (सदस्यों के लिए) बैंकिग, वित्तीय समावेशन, बीमा क्षेत्र, रियल स्टेट आदि व्यवसाय करना इस हेतु संबंधित विभागों से एजेन्सी लेना।

20 (क) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलना जिसका संचालन प्रबंध न्यासी या उप प्रबन्ध न्यासी द्वारा किया जायेगा।

21. अन्य ऐसी सभी न्याय संगत कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक/ प्रासांगिक हो।

2. न्यासी के अधिकार व कर्त्तव्य :-

1. न्यास की सभी बैठकों में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना।
2. न्यास की भलाई के लिए न्यास मण्डल की बैठक/बैठकों में निष्पक्ष विचार करना।
3. ऐसी किसी भी कार्यक्रम या आयोजन में भाग न लेना जो संस्था के उद्देश्यों और/ अथवा नियम व उपनियमों के खिलाफ हो।

8. न्यास मंडल :-

न्यास मंडल में कम से कम तीन अधिक से अधिक सात न्यासी होंगें। न्यास के संस्थापक व

554

Shazia Noor 15.5.15

S.M. Mahmood Fasiel 15.05.15

Shahla Parveen 15/5/15

सभी न्यासी मिल कर न्यास मण्डल का गठन करेंगे।

9. न्यास मण्डल के कार्य और अधिकार :-

1. न्यास के सभी निर्णय न्याय मण्डल की बैठक में बहुमत के आधार पर तये किये जायेंगे।
2. न्यास के नये न्यासी की नियुक्ति या निष्कासन करना।
3. न्यास के संरक्षक या सरंक्षकों की नियुक्ति करना।
4. न्यास एवं उसके द्वारा संचालित सभी आश्रमों/ गतिविधियों/ कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण शिवरों की देखभाल करना।
5. न्यास की आय का ब्यौरा रखना और सभी प्रकार के खर्चो को स्वीकृति प्रदान करना।
6. मण्डल की कार्यवाही लिखने की व्यवस्था करना।
7. न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की देखभाली करना। नियमानुसार समय- समय पर आय व्यय की जॉच करना।
8. न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक कार्यवाही व अन्य आवश्यक उपाय सुझाना।
9. योजनाओं व निर्माण कार्यो का सम्पन्न कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करनपा।

10. न्यास की उन्नति के लिए धनसंग्रह करना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना, आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के के तहत न्यास के लिए आयकर में छूट प्राप्त करना व अन्य सरकारी सुविधायें प्राप्त करना।

11. विदेशी सहायता/ दान हेतु न्यास को पंजीकृत कराना व देशी, विदेशी, सरकारी, कगैर सरकारी विभागों से अनुदान प्राप्त करना।

12. उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाने, सम्पत्ति की देखरेख करने, धन व्यय करने का अधिकार संस्थापक न्यासी को होगा।

13. कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निष्कासन करना व अवकाश प्रदान करना।

14. न्यास से संबंधित विवादों में पैरवी करना व अधिवक्ता नियुक्त करना।

15. न्यास की अन्य वैध कार्यो के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करना।

16. न्यास के कार्यकलापों के सुचारू रूप से संचालन में आवश्यकता महसूस करने पर, इस न्यास में वर्णित किसी नियम के संशोधन करना अथवा किसी नये नियम को बनाना।

17. नये न्यासियों की नियुक्ति के साथ- साथ इस न्यास के ट्रस्टियों में से किसी भी

न्यासियों के कार्य से संतुष्ट न होने पर संबंधित न्यास (ट्रस्टियों) के निलम्बन अथवा निष्कासन करना।

18. न्यास से संबंधित किसी भी कार्य के निष्पादन हेतु किसी भी न्यासी को प्रबंकधक के रूप में नियुक्त करना।

10. न्यास की सभा के नियम व उपनियम :-

1. अधिवेशन :- न्यास मण्डल की बैठक वर्ष में तीन बार अनिर्वाय रूप से होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक प्रमुख न्यासी की अनुमति से बुलाई जा सकेगी।
2. सूचना अवधि :- समांन्य बैठक पाँच दिन की पूर्व सूचना पर एवं विशेष बैठक एक दिन की पूर्व सूचना पर बुलाई जायेगी।
3. गणपूर्ति :- सामान्य बैठक की गणपूर्ति तीन न्यासियों की उपस्थिति से मानी जाएगी।
4. अपातकालीन बैठक :- अपातकालीन बैठक चौबीस घंटे कभी भी अल्प सूचना से बुलाई जा सकेगी।

11. प्रबन्ध न्यासी (अथवा प्रबंध न्यासी की मृत्यु के बाद बना न्यासी) के अधिकार व कर्त्तव्य :-

1. न्यास मंडल की सामान्य बैठक, वार्षिक अधिवेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य साभाओं के आयोजन हेतु सूचना जारी करना।
2. न्यास के अधिवेशन व अन्य बैठकों व उत्सवी की अध्यक्षता करना।
3. न्यास की ओर से सब प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
4. प्रबन्ध न्यासी की मृत्यु के बाद प्रबन्ध न्यासी के वसियत के अनुसार ही नया प्रबंध न्यासी नियुक्त किया जाएगा। जो उनकी संतान या पत्नी होगी।
5. समस्त बिल व बाउचरों पर न्याय मंडल के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति अंकित करना।
6. किसी विषय पर चर्चा के दौरान समर्थन व विरोध में पड़े मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में संस्थापक को एक अतिरिक्त मत डालने का अधिकार होगा।

7. न्यास मंडल व साधारण सभा की कार्यवाही के दौरान नये प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करना।

12. उप समितिया :-

1. न्यास मंडल समय- समय पर न्यास के उद्देश्यों के प्राप्ति एवं कुशल प्रबंधन के लिए कमिट्यिों का गठन कर सकेगी। जो न्यास मंडल के अधीन होगा।

2. इस प्रकार की कमेटी के सदस्यों की संख्या, कार्यकाल, नियम और उप-नियमों की न्यास मंडल की बैठक में ट्रस्टियों के द्वारा बहुमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

13. **वित्तीय वर्ष** :-न्यास का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक रहेगा।

14. **लेखा परीक्षा** :- न्यास के खतों का प्रतिवर्ष, नियमित रूप से, अधिकारिक लेखाकार (चार्टड एकाउटेंट) द्वारा लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

15. **विलय** :- इस न्यास के किसी अन्य न्यास में विलय का निर्णय बोर्ड ऑफ न्यासी/ न्यास मण्डल की बैठक में लिया जा सकेगा।

यह स्पष्ट घोषणा की जाती है कि न्यास की समस्त चल अचल सम्पत्ति को कोई भी अंश न्यास के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा और न्यास के उद्देश्यों में भी जिन कार्यो से संसार का अपेक्षाकृत अधिक उपकार हेाता है, उनको प्रमुखता दी जाएगी।

संस्थापक एवं न्यासियों ने उपर वर्णित तिथि, मास एवं वर्ष में, निम्न गवाह की उपस्थिति में इस न्यास को निष्पादन किया है।

टंकक :- चंदन कुमार
कोर्ट कैम्पस, लहेरियासराय
दरभंगा।

तहरीर तारीख :- 15 माह मई सन 2015 ई०

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

561

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs.**	**5000/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**1000/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs.**	**0/-**	Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**6490/-**

Registration Fee

A1	2040	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
								TOTAL-	**2040**

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge

450

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2490

Date: 15/05/2015

Registering Officer
Darbhanga

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Darbhanga Sadar on Friday, 15th May 2015 by Md. Raza S/O Haji Md. Raza Kareem by profession Agriculture. Status - Trustee

Registering Officer
Darbhanga Sadar

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:15/05/2015**

मो. रजा, 15/5/2015

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Mahinath Jha ' age '44' Sex 'M', 'S/O Asharfi Jha ', resident of 'Shubhepatti Ps- Apm,dbg'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Darbhanga

Date : 15/05/2015

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Darbhanga Sadar in Book 4 Volume No. 1 on pages on 545 -562 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-1 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Darbhanga

Date : 15/05/2015

Token No. : 6844 **Year : 2015** **S.No. : 6806** **SCORE Ver.3.0** **Deed No. : 42**

Md. Sasid 15.5.2015